महानिदेशक,
राज्य परिवहन हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।

सेवा में,

1— सभी महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन,

2— उड़नदस्ता अधिकारी,
आई0एस0बी0टी0 दिल्ली / ~~चण्डीगढ़~~।

क्रमांक 3287-11 /टी0आई0—3
दिनांक 09.7.2013

विषयः— **बच्चो की आधी टिकट जारी करने बारे।**

जैसा कि विदित है किः—

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि परिवहन विभाग की बसों में आधी टिकट जारी करते समय परिचालक व यात्रियों में झगड़े का [illegible] बना रहता है जिस को ध्यान में रखते हुये आप को निर्देश दिये जाते है कि हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 26 मार्च 2010 का हवाला देते हुये परिवहन विभाग की सभी बसों में यथा शीघ्र अकिंत करवाते हुये सभी परिचालकों को भी उक्त बारे आदेश भी जारी करे तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करवाये।

आदेशों की पालना दृढ़ता से की जाये।

सलंग्न / प्रति

कृतेः महानिदेशक,
राज्य परिवहन हरियाणा,चण्डीगढ़।
09/7/13

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 मार्च, 2010

संख्या का०आ० 51/के०अ० 59/1988/धा० 28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111 तथा 213/2010.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 59), की धारा 28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111 तथा धारा 212 की उप-धारा (2) तथा 213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 40/के०अ० 59/1988/धा० 28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111 तथा 213/2010, दिनांक 17 फरवरी, 2010 के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा मोटरयान (संशोधन) नियम, 2010, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 में, नियम 138 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"138क. **आधी टिकट धारक को सीट.**—3 वर्ष से ऊपर तथा 12 वर्ष से कम के आधी टिकट वाले बालक को हरियाणा राज्य परिवहन की स्टैण्डर्ड बसों में तथा राज्य परिवहन नियन्त्रक, हरियाणा के नियन्त्रण के अधीन प्राईवेट बसों में सीट उपलब्ध करवाई जायेगी।"।

समीर माथुर,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।